हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

धर्मशाला, 11 दिसम्बर, 2021

संख्या वि0स0–विधायन–सरकारी विधेयक/1-25/2021.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

————————

2021 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

2. **धारा 12 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 12 में,––

(क) उप–धारा (8) में, "वहां रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करेगा" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "तो कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार के किसी अधिकारी या विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्य को, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (9) के अन्त में "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"परन्तु कुलपति का पद त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त होने की दशा में तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रशासनिक सचिव अस्थाई रूप से तब तक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार नियमित कुलपति नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।"।

———————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 12 के अन्तर्गत उपबन्धित है कि कुलपति की नियुक्ति, खोज समिति द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर की जाएगी। खोज समिति से रिक्ति होने की संभावित तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व पैनल तैयार करने की प्रक्रिया का आरम्भ किया जाना अपेक्षित है। यह उपबन्ध तभी लागू होता है जब पद पर पदधारी की पदावधि के पूर्ण होने पर रिक्ति होती है। यद्यपि, त्यागपत्र द्वारा या अन्यथा यदि अचानक रिक्ति होती है तो अधिनियम के उपबन्धों में ऐसा कोई भी उपबन्ध विद्यमान नहीं है। ऐसी प्रास्थिति को ध्यान में रखने के आशय से अधिनियम में यह उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया है कि तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रशासनिक सचिव अस्थाई रूप से तब तक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियमित नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (8) यह भी उपबन्धित करती है कि जब कुलपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने, अपने कृत्यों का निर्वहन करने और अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार कुलपति के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि रजिस्ट्रार का पद धारण करने वाला पदधारी साधारणतः वरिष्ठ अधिकारी नहीं होता है, इसलिए यह संशोधन किया जाना प्रस्तावित है, ताकि विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ संकाय सदस्य या सरकार के किसी अधिकारी को कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जा सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(डॉ० राम लाल मारकण्डा)
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशाला :

तारीख..... 2021

———————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2021

THE HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2021.

2. Amendment of section 12.—In the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, in section 12,—

(a) in sub-section (8), for the words "the Registrar shall act as Vice-Chancellor of the University", the words "any officer of the State Government or a senior faculty member of the University, may be nominated by the Chancellor to act as the Vice-Chancellor of the University" shall be substituted; and

(b) in the end of sub-section (9), for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the post of Vice-Chancellor falls vacant on account of resignation or otherwise the Administrative Secretary of the Technical Education Department shall act as Vice-Chancellor of the University temporarily till a regular Vice-Chancellor is appointed as per the provisions of this section.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The provisions under section 12 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015) provides that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the State Government from a panel of three persons recommended by the Search Committee. The Search Committee is required to start the process of preparing a panel atleast three months before the probable date of occurrence of vacancy. This provision holds good, when the vacancy occurs on the completion of the term by the incumbent on the post. However, there is no provision in the Act to take care of the sudden occurrence of vacancy either by resignation or otherwise. In order to take care of such an eventuality, a provision is being made in the Act that the Administrative Secretary of the Technical Education Department shall act as the Vice-Chancellor temporarily till a regular appointment is made by the Chancellor as per the provisions of the Act. Besides, sub-section (8) of Section 12 provides that when, the Vice-Chancellor is unable to exercise his powers, perform his functions and discharge his duties owing to absence, illness or any other cause, the Registrar of the University shall act as the Vice-Chancellor. Since, the incumbent holding the post of Registrar is generally not a senior officer, therefore, an amendment is being made so that a senior faculty member of the University or an officer of the Government may be nominated to act as the Vice-Chancellor.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(Dr. RAM LAL MARKANDA)
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

THE....., 2021